प्रेस नोट दिनांक 08.08.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक- 08.08.2026
थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस की कार्यवाही: पुलिस टीम पर हमला एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के अभियोग में वांछित पिता-पुत्र गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा पुलिस टीम पर पथराव/हमला एवं अन्य गंभीर धाराओं में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 06.05.2026 को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत दमदम रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से हुई दुर्घटना में एक लड़की की मृत्यु के बाद आक्रोशित लोगों द्वारा ट्रैक्टर में तोड़फोड़ एवं आग लगाने का प्रयास किया जा रहा था। मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने पहुंची पुलिस टीम पर अभियुक्तों एवं उनके साथ मौजूद अन्य लोगों द्वारा पथराव एवं लोहे की रॉड से हमला कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। घटना में पुलिस कर्मियों को घायल कर सोने की चेन एवं मोबाइल फोन छीनकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उक्त घटना के संबंध में थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 178/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/132/121(2)/125/109(1)/352/351(3)/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम दमदम स्थित अभियुक्तों के घर से थाना रानीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 178/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/132/121(2)/125/109(1)/352/351(3)/324(4) बीएनएस से संबंधित वांछित 02 अभियुक्तों 1-उदय राज पुत्र पारस नाथ, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी ग्राम दमदम, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, 2-पारस नाथ पुत्र रामदुलार, उम्र करीब 56 वर्ष, निवासी ग्राम दमदम, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1-उदय राज पुत्र पारस नाथ, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी ग्राम दमदम, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
2-पारस नाथ पुत्र रामदुलार, उम्र करीब 56 वर्ष, निवासी ग्राम दमदम, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राजेश कुमार यादव, का0 राजू गौड़, का0 दशरथ पटेल, का0 योगेन्द्र सिंह एवं रि0म0का0 गुन्जना यादव, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा "दुष्कर्म" के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त रिंकू तिवारी गिरफ्तार-

प्रेस नोट दिनांक- 08.08.2026
थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस की कार्यवाही: हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 29.07.2026 को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे गोलिया में रास्ते के विवाद को लेकर हुए विवाद से आक्रोशित होकर अख्तर, अरबाज, रोशन, सलमान, गुफरान, शाहिद, सऊद, अफजल, अशरफ, शादाब, सुफियान एवं समा आदि द्वारा एकराय होकर वादी मो0 अबरार के घर पर धावा बोल दिया गया। आरोपियों द्वारा कुल्हाड़ी, धारदार हथियार एवं लोहे की रॉड से जान से मारने की नीयत से हमला किया गया, जिसमें वादी के भतीजे शाहरुख एवं चचेरे भाई साजिद के सिर में गंभीर चोटें आईं तथा बीच-बचाव करने पहुंचे मो0 शोएब एवं आशमा बानो भी घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को जिला अस्पताल प्रतापगढ़ से एस.आर.एन. अस्पताल प्रयागराज रेफर किया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। उक्त घटना के संबंध में थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 365/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 109(1), 352 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर देल्हूपुर-रानीगंज-पहाड़पुर रोड से थाना रानीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 365/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109(1)/352 बीएनएस से संबंधित वांछित 03 अभियुक्तों 1-गुफरान उर्फ अब्दुल रज्जाक पुत्र जाहिद अली, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे गोलिया, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, 2-रोशन पुत्र जाहिद अली, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे गोलिया, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, 3-अरबाज उर्फ शहजाद पुत्र जाहिद अली, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे गोलिया, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाडी के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1-गुफरान उर्फ अब्दुल रज्जाक पुत्र जाहिद अली, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे गोलिया, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
2-रोशन पुत्र जाहिद अली, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे गोलिया, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
3-अरबाज उर्फ शहजाद पुत्र जाहिद अली, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे गोलिया, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
1-घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाडी बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव, का0 धीरज कुमार, रि0का0 रचित सिंह एवं रि0का0 आन्जनेय कुमार, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 08.08.2026
थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 'न्यू लोटस गेमिंग' (New LOTUS Gaming) ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश: एक अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैंक पासबुक एवं क्यूआर कोड बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस की बड़ी कार्यवाही: ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़, 01 अभियुक्त सौरभ सिंह गिरफ्तार; ऑनलाइन सट्टेबाजी में प्रयुक्त 08 मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, विभिन्न बैंकों की पासबुक/चेकबुक, एटीएम कार्ड एवं बड़ी संख्या में क्यूआर कोड सहित अन्य सामग्री बरामद।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 'न्यू लोटस गेमिंग' ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह की कार्यप्रणाली का खुलासा: कमीशन पर बैंक खाते लेकर और क्यूआर कोड के जरिए करते थे अवैध धन का लेन-देन

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 07.08.2026 को थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर तिलौरी मोड़, शिवपुरम कॉलोनी में ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित गतिविधियों की जांच की गई। मौके से अभियुक्त सौरभ सिंह को विभिन्न व्यक्तियों के नाम की पासबुक एवं चेकबुक के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा शैलेन्द्र प्रताप सिंह के साथ मिलकर New LOTUS Gaming की ऑनलाइन सट्टेबाजी ब्रांच संचालित करने तथा विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से सट्टेबाजी की धनराशि का लेन-देन किए जाने की जानकारी दी गई।

पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया कि अन्य व्यक्तियों के बैंक खाते कमीशन देकर प्राप्त किए जाते थे तथा उनका उपयोग ऑनलाइन सट्टेबाजी की धनराशि के लेन-देन में किया जाता था। सट्टेबाजी से प्राप्त धनराशि को विभिन्न

बैंक खातों में स्थानांतरित कर छिपाने/शोधन का प्रयास किया जाता था। प्रकरण में सौरभ सिंह के साथ शैलेन्द्र प्रताप सिंह, हरिगोविंद सिंह, अनीश एवं नीरज आदि की संलिप्तता के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है।

उक्त प्रकरण में थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 307/2026, धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/112(2)/61(2)/3(5) बीएनएस एवं 66डी आईटी एक्ट के अंतर्गत 05 नामजद एवं अन्य अज्ञात साथियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी कुण्डा श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त सौरभ सिंह पुत्र अरविंद कुमार सिंह, निवासी तिलक का पुरा, थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. सौरभ सिंह पुत्र अरविंद कुमार सिंह, निवासी तिलक का पुरा, थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी—
ऑनलाइन सट्टेबाजी में प्रयुक्त 08 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद लैपटॉप, 01 अदद टैबलेट, 05 अदद बड़े प्लास्टिक क्यूआर कोड, 04 अदद छोटे प्लास्टिक क्यूआर कोड, 11 अदद रियल गोल्ड पेटीएम क्यूआर कोड, 02 अदद क्यूआर कोड प्लास्टिक स्टैंड, 15 अदद विभिन्न बैंकों की पासबुक, 07 अदद विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, 04 अदद अटैण्डेंट कार्ड, 02 अदद गूगल-पे मशीन, 09 अदद विभिन्न बैंकों की चेकबुक, 06 अदद विभिन्न बैंकों की एटीएम स्लिप, 22 अदद पेटीएम क्यूआर ट्रांसफर, 12 अदद गूगल-पे क्यूआर कोड, 05 अदद रजिस्टर/डायरी तथा 01 अदद आधार कार्ड बरामद किया गया।

पुलिस टीम का विवरण-
निरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 दुर्गेश सिंह, उ0नि0 चन्द्रबली सिंह, उ0नि0 राजकुमार यादव, का0 हरेन्द्र कुमार, का0 प्रतीक यादव का0 हर्षवर्धन सिंह, रि0का0 दिलीप यादव व रि0 महिला आरक्षी स्वेता राय, रि0म0का0 जानकी थाना कुण्डाजनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 08.08.2026
थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस की कार्यवाही: पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त राजू गौतम को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 अचिन्त्य शुक्ल मय पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर नर्बदा चौराहे के पास से थाना रानीगंज पर पंजीकृत मुकदमा अन्तर्गत धारा 65(2)/126(2)/352/351(3) बीएनएस एवं 5M/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त राजू गौतम को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-राजू गौतम पुत्र बुद्धिराम, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम तिवारीपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अचिन्त्य शुक्ल, का0 धीरज कुमार, रि0का0 शिवम श्रीवास्तव एवं रि0का0 शेरबहादुर यादव, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 08.08.2026
थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस की बड़ी कार्यवाही: कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग नाम व जन्मतिथि से दो पासपोर्ट बनवाने वाला 01 अभियुक्त अदिल अंसारी गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना कुण्डा पुलिस द्वारा जांच के दौरान पाया गया कि आवेदक द्वारा अलग-अलग नाम एवं जन्मतिथि दर्शाकर दो पासपोर्ट तैयार कराए गए हैं। पासपोर्ट संख्या J6204954 दिनांक 14.02.2011 को मोहद आदिल पुत्र मोहद इब्राहीम, जन्मतिथि 15.08.1987 के नाम से तथा पासपोर्ट संख्या R68800219 दिनांक 06.02.2018 को आदिल अंसारी पुत्र मो0 इब्राहीम, जन्मतिथि 01.02.1992 के नाम से जारी होना पाया गया। दोनों पासपोर्ट में नाम एवं जन्मतिथि में भिन्नता पायी गई, जिससे प्रथम दृष्टया कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर छद्म रूप से एक से अधिक पासपोर्ट प्राप्त किए जाने का तथ्य प्रकाश में आया है। इस संबंध में थाना कुण्डा में मु0अ0सं0-305/26 धारा- 419/420/467/468/471/474 भादवि व 12(1) बी, 12 (1) सी पासपोर्ट अधि० थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी कुण्डा श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कुण्डा के उ0नि0 राजेश कुमार व रि0का0 आर्यन गुप्ता द्वारा उक्त अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त अदिल अंसारी पुत्र मो0 इब्राहिम निवासी ग्राम दिलेरगंज थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत पूरेधनऊ के पास से गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. अदिल अंसारी पुत्र मो0 इब्राहिम निवासी ग्राम दिलेरगंज थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राजेश कुमार व रि0का0 आर्यन गुप्ता थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 08.08.2026
थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा ई-रिक्शा सवार युवती से मोबाइल फोन छिनैती की घटना का सफल अनावरण: 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, छिनैती का मोबाइल फोन, देशी बम एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस की बड़ी कार्यवाही: छिनैती की घटना का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त, नन्हा पटवा उर्फ हनी व करन सरोज गिरफ्तार; छिनैती का मोबाइल फोन एवं 04 देशी बम तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 03.08.2026 को वादी निवासी ग्राम शीतलपुर रैयापुर भदरी, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि उनकी पुत्री जो कुण्डा में ब्यूटी पार्लर संचालित करती हैं, दुकान बंद कर ई-रिक्शा से घर लौट रही थीं। इसी दौरान पीछे से बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने उनकी पुत्री के हाथ से मोबाइल फोन झपट्टा मारकर छीन लिया और मौके से फरार हो गए। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 302/2026 धारा 304 बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी कुण्डा श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 गोविन्द सिंह चौहान मय हमराह हे0का0 रमेश कुमार, का0 अजीत यादव, का0 उमाशंकर भारती व रि0का0 अश्वनी सोनकर द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 302/2026 धारा 304 बीएनएस से संबंधित 02

अभियुक्तों, 01. नन्हा पटवा उर्फ हनी पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम कनावा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष, 02. करन सरोज पुत्र भारतलाल सरोज निवासी ग्राम कनावा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों के कब्जे से छिनैती से संबंधित 01 अदद मोबाइल फोन एवं उनके कब्जे से 04 अदद देशी बम बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317 बीएनएस एवं धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. नन्हा पटवा उर्फ हनी पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम कनावा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।
2. करन सरोज पुत्र भारतलाल सरोज निवासी ग्राम कनावा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी-
01 अदद मोबाइल फोन एवं उनके कब्जे से 04 अदद देशी बम बरामद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 गोविन्द सिंह चौहान मय हमराह हे0का0 रमेश कुमार, का0 अजीत यादव, का0 उमाशंकर भारती व रि0का0 अश्वनी सोनकर, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 08.08.2026
थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना उदयपुर के उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का० विधिचन्द्र व का० संतलाल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी दौरान माननीय न्यायालय जे0एम0 महोदय लालगंज जनपद प्रतापगढ द्वारा जारी गैर जमानतीय वारन्ट फौ०वाद संख्या 774/22, अ0सं0 145/21 धारा 506/504/509 भादवि0 थाना उदयपुर प्रतापगढ से सम्बन्धित 01 अभियुक्त प्रभाकर उर्फ मोनू शुक्ला पुत्र हर्ष नारायण निवासी ग्राम पूरे नन्दू तिवारी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. प्रभाकर उर्फ मोनू शुक्ला पुत्र हर्ष नारायण निवासी ग्राम पूरे नन्दू तिवारी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का० विधिचन्द्र व का० संतलाल यादव थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।